फसलें खराब तो किसानों के बच्चों की फीस भरे सरकार

राष्ट्रीय बाल आयोग के सदस्य कानूनगो ने कहा

भास्कर संवाददाता | रायसेन

शहर प्रवास के दौरान सोमवार को राष्ट्रीय बाल आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने कहा कि अभी प्रदेशों में प्ले स्कूलों पर कोई नियंत्रण नहीं है। वहां तीन साल से छोटे बच्चों को पढ़ाई नहीं कराई जाना चाहिए। इसके लिए हमने सभी प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखकर प्रस्ताव लाने के लिए कहा है। इसके लिए एक्ट बनाए जाने की जरूरत है। 3 साल से कम उम्र के बच्चों पर बोझ नहीं डाला जा सकता।

इसके अलावा श्री कानूनगो ने सरकारों को सुझाव दिया है कि जिन प्रदेशों में किसानों की संख्या अधिक है, वहां किसानों के बच्चों को फीस जमा कराने की गारंटी सरकारों को लेना चाहिए। फसलें खराब होने के कारण किसान निजी स्कूलों की फीस जमा नहीं कर पाते और बच्चों की पढ़ाई बंद करा देते हैं। जब भी फसलें खराब हों, उस साल सरकार किसानों के बच्चों की स्कूल फीस जमा कराए। प्ले स्कूलों पर नियंत्रण के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार काफी काम कर रही है, वहीं छत्तीसगढ़ की सरकार ने सकारात्मक रुख दिखाया है।

श्री कानूनगो ने कहा कि आरटीई के तहत एक बच्चे पर मप्र सरकार 3 हजार खर्च करती है,जो काफी कम है। इसको बढ़ाया जाना चाहिए। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता के सवाल पर श्री कानूनगो ने कहा कि पहले शाला विकास समितियां स्कूलों में अच्छा रोल निभाती थीं, अब ऐसा नहीं हो पा रहा है। निजी स्कूलों पर अच्छे परिणाम देने के लिए सामाजिक दबाव होता है,जबकि सरकारी स्कूलों के शिक्षक अधिक क्वालिफाइड होते हैं।